न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2024 / 55
मुकदमा नम्बर 07 / 2024

दर्ज दिनांक—18.01.2024

भगवती पत्नी पोकरमल जाति जाट निवासी रणवां की ढाणी,कैमरी की ढाणी तन खिरोड, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

—अनावेदक

वकील आवेदक : — श्री नेमीचन्द डूडी,श्री सज्जन चाहर
वकील अनावेदक :— पैरा. राज.

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 01.04.2024**

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम तुर्काणी जोहडी पटवार हल्का खिरोड की सरहद में खाता सं. 57 पुराना 122 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 455 / 240 रकबा 1.09 है0 के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया का नाम भगवानी देवी पत्नी पोकरमल दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जाकर, भगवानी देवी पत्नी पोकरमल के स्थान पर भगवती पत्नी पोकरमल दर्ज किया जावे।

प्रा0 पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक तहसीलदार नवलगढ की ओर से पैरो. राज. उपस्थित हो रिपोर्ट क्रमांक भू.अ. 312 दिनांक 05 / 02 / 2024 पेश की जिसके अनुसार प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड मे भगवानी देवी पत्नी पोकरमल के स्थान पर भगवती पत्नी पोकरमल दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार करता है तथा ग्राम तुर्काणी जोहडी पटवार हल्का खिरोड की सरहद में खाता सं. 57 पुराना 122 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 455 / 240 रकबा 1.09 है0 के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया का नाम भगवानी देवी पत्नी पोकरमल के स्थान पर भगवती पत्नी पोकरमल दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। पृथक से तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय / आदेश आज दिनांक 01.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला—झुझुंनू

Scanned with CamScanner